

पत्रिका

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष सचिव

ए० वी० एम० कालेज आफ फार्मसी, मटिहना-खलीलाबाद, जनपद - सन्तकबीरनगर। पिन कोड - 272175 सोसायटी/ट्रस्ट - ए० वी० एम० शिक्षा एवं सेवा संस्थान, खलीलाबाद सन्तकबीरनगर। पिन कोड - 272175

पत्रिका प्राशिप/परिषद/2022/5845

तददिनांक 14 7 2022

विषय सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संज्ञक

उपरोक्त विषयक फार्मसी कन्वेंशनल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रिका 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कवर कर जिराके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत पत्र जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली पी०सी०आई०, नई दिल्ली से पशुगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनापरात ही संस्थान को सम्बद्धता पर विचार करता है।

उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पी०सी०आई०, नई दिल्ली के पत्रिका संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621-23 में उक्त संदर्भ संख्या के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी सस्तुति के आधार पर संस्था को सम्बद्धता अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० नो 406/2022 में परिषद द्वारा निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी कन्वेंशनल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा प्रदान सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्णय यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो एस०एल०पी० संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्णतः मान्य पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई० एवं राज्य स्तरीय निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन कार्य को अग्रतः सुनिश्चित किया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन की पूर्ति न होने तथा स्थलीय निरीक्षण के मानकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय

(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव

पत्रिका प्राशिप/परिषद/2022/5846-47

तददिनांक 14 7-2022

प्रतिबन्धि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, कानपुर।
2. संचालक, कम-सकन्टी, फार्मसी कन्वेंशनल ऑफ इण्डिया, कम्पाउन्ड काउंसिल बिल्डिंग, एम्फन जन्, कोटवा रोड, एम्फन ए ग्रासिब मार्ग, नई दिल्ली - 110 002

(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव